nt>

Title: Need to extend immediate relief measures in the severely drought affected areas of Rajasthan.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 25 जिलों में 18,000 से ज्यादा गांवों में भयंकर सूखे के कारण फसल बर्बाद हो गई है।

आज वहां भयावह स्थिति पैदा हो गयी है। अनिश्चित मानसून के कारण राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर संभागों में तथा शेा भागों में भी फसलों का भारी नुकसान हुआ है। पेयजल का भयंकर संकट पैदा हो गया है, अतः टैंकरों से पानी पहुंचाना आवश्यक है। वहां पशुधन को बचाने के लिए चारे की व्यवस्था एवं पशुधन संरक्षण कैम्प लगाना आवश्यक हो गया है। इस भयावह स्थिति के कारण राहत कार्य प्रारम्भ करना, ताकि लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके, जरूरी है। इसलिए राजस्थान सरकार ने 1 दिसम्बर, 2004 से हालांकि 3 लाख श्रमिकों को काम पर लगाया है, इस आशा से कि केन्द्र सरकार उनके लिए जल्दी आवश्यक धन तथा जितना गेहूं मांगा है, काम के बदले अनाज योजना के लिए अनाज प्रदान कर देगी। अतः राहत कार्य में लगे श्रमिकों को इसी माह मजदूरी भुगतान करने के लिए आपदा राहत कोा (सी.आर.एफ.) के वर्तमान अव्यावहारिक मापदण्डों में भी तुरन्त परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। राहत कोा के वर्तमान मापदण्डों के अनुसार मजदूरी केवल 15 रुपये नकद तथा 5 किलोग्राम गेहूं दिया जाता है, जो अव्यावहारिक है। राजस्थान सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की दर भी बढ़ा दी है, इसलिए 18 रुपये नकद तथा 12 किलोग्राम गेहूं प्रतिदिन वितरित करना आवश्यक है।

इसलिए भारत सरकार से अनुरोध है कि अविलम्ब राजस्थान सरकार को 3 लाख श्रमिकों का भुगतान करने के लिए राहत कोा के मापदण्डों में तुरन्त परिवर्तन कर 28 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 200 करोड़ रुपये पेयजल के लिए, 311 करोड़ रुपये पशुधन के संरक्षण के लिए, 576 करोड़ रुपये रोजगार प्रदान करने के लिए, 114 करोड़ रुपये असहाय सहायता, 80 करोड़ रुपये स्वास्थ्य एवं पोाहार और 91 करोड़ रुपये किसानों को इनपुट अनुदान राशि की सहायता हेतु शीघ्र प्रदान करें। धन्य वाद।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इनके साथ अपने को एसोसिएट करता हूं।

MR. SPEAKER: In future, I will not allow any reading. Shri Manoj Kumar -- not present.

Now, I give the floor to Shri Ramdas Athawale. Please do not create any problems. Why do you not keep quiet?